न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2015 (राजस्व अपील)

अनवान

1. श्री कपिल देव पुत्र श्री रामधनी मीणा, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर जरिये अधिकारपत्रधारी श्री रामधनी पिता रतना मीणा

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

— विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अन्तर्गत बनाराजगी आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा दिनांक 10.09.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 219 व 228 मौजा खानमीन

* निर्णय *

दिनांक— 02-02-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा दिनांक 10.09.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 मौजा खानमीन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खानमीन, पटवार हल्का खानमीन, तहसील खेरवाड़ा मे श्री फूला, चम्पू व लक्ष्मण पिता मन्ना, अमरी बेवा मन्ना, काना, जीवा, रमेश, शंकर पिता काला, पांचा पिता कचरा, धुलचंद, लालू, कमललाल, हुरमा, बाबुलाल, बालू एवं मदनलाल पिता हलिया, हकसी पिता हांजा एवं रामधनी पिता रतना के संयुक्त खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि खाता संख्या 165 आराजी संख्या 508, 509, 514, 530, 556, 557, 560, 582 से 600, 2661, 2664, 2672 से 2674, 2677 व 2678 कुल किता 33 रकबा 13.02 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसके वे संयुक्त खातेदार कृषक हैं। इसी प्रकार श्री रामधनी पिता रतना के खाते एवं कब्जे मे खाता संख्या 228 से कृषि आराजी संख्या 551 से 555, 605 से 609 कुल किता 10 रकबा 1.81हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त आराजीयात मे से आराजी संख्या 556, 557, 560, 591 एवं 593 जो क्रमशः रकबा 0.39हे., 0.88हे., 0.62हे., 0.48हे. एवं 0.41हे. थी, उनको पूरी या आंशिक रूप से अपीलान्ट ने खान विभाग से अपने नाम आवंटन हेतु कार्यवाही आरम्भ की, भूमि के समस्त खातेदारों से अनापत्ति ली, उसके साथ ही तहसीलदार खेरवाड़ा से दिनांक 03.09.1994 को इन्ही पांचो आराजीयात मे से रकबा 1.00हेक्टेयर स्वयं के नाम पर खनन हेतु आवंटन कराने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाया। दिनांक 12.12.1995 को इन्ही आराजीयात के संबंध मे तत्कालीन सक्षम अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा राजस्व प्रमाण पत्र जारी हुआ एवं कालान्तर मे इन्ही के संबंध मे दिनांक 08.07.1997 को खान विभाग द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे माईनींग लीज स्वीकृत की गई। दिनांक 14.07.1997 को उसके पक्ष मे खनन पट्टा संख्या 60/1995 को 20 वर्ष हेतु लीज पर दे लीज डीड निष्पादित कर पंजीकृत

कराया। उक्त पट्टा मौके पर सीमांकन अनुसार स्वीकृत किया एवं हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 13.05.1997 को जारी की, उसमे भी उक्त पांचो आाजीयात को खनन क्षेत्र मे होना दर्शाया है, उसी मे खान विभाग द्वारा मुटाम स्थापित किये गये एवं कब्जा प्रार्थी को दिया गया, तब से उस पर खनन कार्य कर रहा हैं। उक्त खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रार्थी ने उक्त राजस्व रेकर्ड मे खनन क्षेत्र का अंकन करने हेतु प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन किया, ताकि नामान्तरकरण खोला जा सके एवं राजस्व रेकर्ड मे माइनिंग लीज का अंकन हो सके। प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 10.09.2002 द्वारा प्रार्थी के साथ ही 11 अन्य माईनिंग लीजो का नामान्तरकरण खोल राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया, जिसके अनुसरण मे प्रार्थी से संबंधित माईनिंग लीज बाबत दो नामान्तरकरण क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 खोले गये। उक्त नामान्तरकरण खोलने मे त्रुटिवश जो स्वीकृति, अनापत्ति व राजस्व प्रमाण पत्र दिया गया, जिन आराजीयात संख्या 556, 557, 560, 591 एवं 593 का सीमांकन कर कब्जा दिया गया, जिसका हल्का पटवारी द्वारा सत्यापन किया गया, उसमे से आराजी संख्या 556, 591 एवं 593 को तो सही अंकन किया पर त्रुटिवश आराजी संख्या 557 एवं 560 के बजाय अन्य आराजीयात संख्या 554, 592 व 600 का नामानतरकरण खोल दिया एवं नक्शे मे भी गलत पेमुदगी की गई। उक्त आदेश एवं उसके अनुसरण मे किये गये नामान्तरकरण, पेमुदगी आशिंक रूप से अवैध होकर निरस्त योग्य हैं। नामान्तरकरण आदेश, अमल दरामद एवं पेमुदगी आवंटन के अनुसरण मे ही की जाती हैं, आवंटन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं राजस्व प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार किया जाता हैं एवं आवंटन पूर्व सीमांकन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। इस प्रकरण मे सीमांकन, उक्त वर्णित प्रमाण पत्र सभी मे प्रार्थी को आराजी संख्या 556, 557, 560, 591, 593 को ही दर्शाया गया हैं। इन पांच किता मे 2.73हे. भूमि मे से 1.00हे. भूमि खदान हेतु आवंटन की स्वीकृति हुई एवं उसी अनुसार मुटाम लगाये गये है, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 मे आराजी संख्या 557 एवं 560 के बजाय 554, 592 एवं 600 अंकित करते हुए इन तीनो आराजीयात के नये नम्बर 4000/554, 3997/591, 3998/600 बना दिये, जो अवैध हैं। प्रत्यर्थी का स्वीकृत स्थिति से अलग नामान्तरकरण आदेश पारित करने, उसमे आराजी परिवर्तित करने, उसके अनुसरण मे दूषित नामान्तरकरण करने का कोई अधिकार नही है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा, नामान्तरकरण आदेश, अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 10.09.2002 एवं उसके अनुसरण मे किया गया नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 मौजा खानमीन को आंशिक रूप से संशोधित कर उसमे अंकित आराजी संख्या 554, 592 एवं 600 जिसका नया नम्बर 4000/554, 3997/591 एवं 3998/600 दिया है, उसे हटाकर उसके स्थान पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, सीमांकन रिपोर्ट एवं लीज अनुबंध के अनुसरण मे आराजी संख्या 557 एवं 560 अंकित कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं प्रकरण मे तहसीलदार से जवाब/रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीड़र/राजस्व/2016/566 दिनांक 01.08.2016 द्वारा न्यायालय को जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा खानमीन की नामान्तरकरण संख्या 219

विक्रय का नामान्तरकरण है, जो आराजी संख्या 1343, 1345, 1349 का है, जो बन्ना कुंवर, प्रियंका, भावना पिता मूलसिंह, तेजकुंवर बेवा मूलसिंह 1/3 हि.ब., डुंगरसिंह, मनोहरसिंह पिता उम्मेदसिंह 2/3 राजपूत हि.ब. द्वारा पूरा रकबा लखमा पिता थावरा मीणा को विक्रय किया गया हैं। मौजा खानमीन का नामान्तरकरण संख्या 228 माईनिंग लीज ड़ीड़ का नामान्तरकरण हैं, जो आराजी संख्या 591 रकबा 0.48हे., 592 रकबा 0.01हे., 593 रकबा 0.41हे., 600 रकबा 0.02हे., 556 रकबा 0.39हे. का हैं, जो फुला, चम्पू, लक्ष्मण पिता मन्ना, अमरी बेवा मन्ना मीणा 3/10हि.ब. काना, जीवा, रमेश, शंकर पिता काला 3/16हि.ब., पांचा पिता कचरा 3/32हि.ब. धुलचंद, लालु, कमल लाल, हुरमा, बाबूलाल, बालु, मदनलाल पिता हलिया 1/4 हि.ब. मीणा, हकसी पिता हांजा 1/8 रामधनी पिता रतना जी भणात 5/32हि. दर्ज हैं, से लीज ड़ीड़ आराजी संख्या 3997/591 रकबा 0.12हे., 592 रकबा 0.01हे., 593 रकबा 0.41हे., 3998/600 रकबा 0.01हे., 3999/556 रकबा 0.20हे. कुल किता 5 रकबा 0.75हे. दर्ज हैं। साथ ही आराजी संख्या 554 रकबा 0.70हे. भूमि रामधनी पिता रतना भणात निवासी कण्ड़ाल 1/2 हरजी, हवाजी पिता धन्ना 1/6 रूपा नारायण पिता अमरा 1/12हि.ब. हकरा, देवा, फुला, काला, पन्ना पिता धुला 1/4 मीणा हि.ब. मे से आराजी संख्या 4000/554 रकबा 0.25हे. भूमि लीज ड़ीड़ की हैं। खनिज विभाग द्वारा जारी एम.एल. न. 60/95 के द्वारा अवधि 30.07.1997 से 29.07.2017 तक लीज हेतु प्रमाणित किया हुआ हैं। लीज ड़ीड़ मे आराजी संख्या का अंकन नहीं हैं। लीज ड़ीड़ 10000वर्गमीटर की है। नामान्तरकरण मे दर्शाया गया रकबा 1.00हे. का 10000 वर्गमीटर का होता हैं। प्रकरण मे तहसीलदार से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 दिनांक 10.09.2002 को संशोधित कराने हेतु निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए तहसीलदार द्वारा जवाब मे वर्णित तथ्यों को स्पष्ट किया तथा अवगत कराया कि नामान्तरकरण संख्या 219 विक्रय का नामान्तरकरण है, जो आराजी संख्या 1343, 1345, 1349 से संबंधित है, जिससे न तो अपीलान्ट का हित प्रभावित होता है एवं न ही उक्त आराजी अपीलान्ट से संबंधित है। लीज ड़ीड़ से संबंधित नामान्तरकरण संख्या 228 के संबंध मे तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार लीज ड़ीड़ मे आराजी संख्या का अंकन नही है एवं लीज ड़ीड़ 10000वर्गमीटर की है। नामान्तरकरण मे दर्शाया गया रकबा 1.00हे. का 10000 वर्गमीटर का होता हैं। इस प्रकार जो लीज ड़ीड़ जारी की गई है, उसका रकबा एवं नामान्तरकरण का रकबा समान है। अतः नामान्तरकरण सही खोला गया हैं।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट, म्युटेशन की प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। प्रकरण तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 10.09.2002 को मौजा खानमीन के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 219 एवं 228 से संबंधित हैं। सर्वप्रथम नामान्तरकरण संख्या 219 को देखने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौजा खानमीन का नामान्तरकरण संख्या 219 विक्रय का नामान्तरकरण है, जो आराजी संख्या 1343, 1345, 1349

का है, जो बन्ना कुंवर, प्रियंका, भावना पिता मूलसिंह, तेजकुंवर बेवा मूलसिंह 1/3हि.ब., डुंगरसिंह, मनोहरसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत 2/3हि.ब. द्वारा पूरा रकबा लखमा पिता थावरा मीणा को विक्रय किया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का न तो कोई हिस्सा है एवं न ही अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र मे उक्त विक्रय की आराजी संख्या 1343, 1345 एवं 1349 का उल्लेख है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मे नामान्तरकरण संख्या 219 के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की नामान्तकरण संख्या 219 से उसका कोई हित प्रभावित होता हो। अतः नामान्तकरण संख्या 219 के संबंध मे कोई हस्तक्षेप करना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। जहां तक नामान्तरकरण संख्या 228 का प्रश्न है, उक्त नामान्तरकरण माईनिंग लीज ड़ीड़ से संबंधित हैं। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे यह स्पष्ट किया है कि लीज ड़ीड़ मे आराजी संख्या का अंकन नही है एवं लीज ड़ीड़ 10000वर्गमीटर की है। नामान्तरकरण मे दर्शाया गया रकबा 1.00हे. का 10000 वर्गमीटर का होता हैं। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि खनन विभाग द्वारा लीज ड़ीड़ मे आराजी संख्या का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा एम.एल. न0 60/95 के संबंध मे जारी राजस्व प्रमाण पत्र दिनांक 12.12.1995 आराजी संख्या 556, 557, 560, 591 एवं 593 जो क्रमशः रकबा 0.39हे., 0.88हे., 0. 62हे., 0.48हे. एवं 0.41हे. के संबंध मे हैं, जो तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता हैं। खान विभाग द्वारा चिन्हित किये गये मुटाम के फलस्वरूप तैयार नक्शे एवं नामान्तरकरण संख्या 228 के अमल दरामद के उपरान्त खोले गये नक्शों के अवलोकन से यह तथ्य अवश्य सामने आया है कि खनन विभाग द्वारा चिन्हित मुटाम के अनुसार तैयार किये गये नक्शे का तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण 228 मे दर्शाये गये नक्शे से मिलान नहीं होता हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 219 को यथावत रखा जाता है एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 228 दिनांक 10.09.2002 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा एम.एल. न0 60/95 के संबंध मे जारी राजस्व प्रमाण पत्र दिनांक 12.12.1995 आराजी संख्या 556, 557, 560, 591 एवं 593 जो क्रमशः रकबा 0.39हे., 0.88हे., 0.62हे., 0.48हे. एवं 0.41हे. कुल किता 2.78हे. मे से 1.00हे. के खनन विभाग द्वारा चिन्हित किये गये मुटाम की नपती कर, नक्शे अनुसार आराजी की जांच कर, अपीलान्ट को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर